



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271041  
CG-DL-E-18032026-271041

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 55]

NEW DELHI MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

[व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)]

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

मामला संख्या: -एडी(ओआई)-01/2026

विषय: चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हेक्सामाइन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. सं. 6/01/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मैसर्स सिमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हेक्सामाइन" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अंतरिम शुल्क की भी मांग की है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद हेक्सा मेथिलिन टेट्रामाइन है, जिसे आमतौर पर 'हेक्सामाइन' के नाम से जाना जाता है। हेक्सामाइन का रासायनिक सूत्र है  $CH_2N_2$  और यह सीएएस संख्या 100-97-0 के अनुरूप है।
4. हेक्सामाइन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एम्मो फॉर्म, मेथेनामाइन, सिस्टामिन, सिस्टोजेन, यूरोट्रोपिन।
5. हेक्सामाइन हल्की अमोनिया गंध के साथ एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह 280 डिग्री सेल्सियस पर झुलस जाता है, वैक्यूम में 230 डिग्री सेल्सियस पर उर्ध्वपातित हो जाता है। यह पानी और कार्बन डाइसल्फाइड में अच्छी तरह से घुलनशील है, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में मध्यम रूप से घुलनशील है, ईथर और बेंजीन में थोड़ा घुलनशील है। हेक्सामाइन को फॉर्मल्डेहाइड और अमोनिया की प्रतिक्रिया के माध्यम से रासायनिक उद्योग में तैयार किया जाता है।
6. इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से रेजिन, फार्मास्यूटिकल्स, विस्फोटक और रबड़ उद्योग के निर्माण में। अन्य उपयोगों में, इसका उपयोग सख्त और रेजिन के लिए क्रॉस-लिंगिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
7. उत्पाद को उसके वजन से मापा जाता है, जिसे किलोग्राम या एमटी में व्यक्त किया जाता है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम के तहत संबद्ध सामानों के लिए निर्धारित माप की इकाई भी वजन "किलोग्राम" है।
8. हेक्सामाइन को उप-शीर्ष 2921 29 10 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, विचाराधीन उत्पाद को कोड 2921 29 90 और 2933 69 90 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
9. आवेदकों ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।
10. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार जांच की शुरुआत की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

11. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित सामान में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित सामानों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रथम दृष्टया, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

**ग. संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

**घ. जांच की अवधि (पीओआई)**

13. वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**ड. घरेलू उद्योग और आधार**

14. यह आवेदन-पत्र मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स सिमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य घरेलू उत्पादक है, अर्थात् श्रीनाथजी रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आवेदन-पत्र के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।
15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदकों के उत्पादन का समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध हैं।
16. उपर्युक्त को देखते हुए और उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

**च. कथित पाटन का आधार****क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

17. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
18. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत के बारे में विश्वसनीय सूचना तीसरे देश या वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के साथ भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है।

**ख. रूस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य**

19. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह रूस और संयुक्त अरब अमीरात में संबद्ध सामानों की तुलनीय कीमतों पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यह सूचना किसी भी सार्वजनिक स्रोत से भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि संबद्ध सामान विभिन्न कोडों के तहत आयात किए जा रहे हैं, अतः जब संबद्ध देशों से तीसरे देशों में निर्यात किया जाता है तो संबद्ध सामानों के प्रतिनिधिकारक कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके मद्देनजर, आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य के आधार के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभ के साथ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है।

**ग. निर्यात कीमत**

20. आवेदकों ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और सार-संभाल शुल्क के निमित्त समायोजन किया गया है।

**घ. पाटन मार्जिन**

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, इस बात का प्रथम दृष्टया प्रमाण है कि संबद्ध देशों विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क**

22. क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के आकलन के लिए माना गया है। घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयात के कारण हुए नुकसान के संबंध में प्रारंभिक सबूत प्रदान किए हैं। पीओआई में विषय देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है। विषय देशों से आयात की मात्रा दोनों ही पूर्ण अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। प्रत्येक विषय देश से कीमतों में कटौती के सबूत हैं। घरेलू उद्योग ने मूल्य गिरावट और दबाव से नुकसान झेला है। इसका घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मानदंडों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने अपने

संचालन प्रदर्शन में तीव्र गिरावट का दावा किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में क्षति, नकद हानि और पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न झेला है।।

उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संपर्क का पर्याप्त प्रमाण मिलता है।

#### ज. शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाना

23. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी पूर्व की तारीख से लगाए जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निम्नलिखित के कारण पूर्व की तारीख से शुल्क लगाया जाना आवश्यक है:

- क) भारत में पाटन का इतिहास है जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर पिछली जांच के तथ्य से स्पष्ट है।
- ख) आयातक को वर्तमान संबद्ध देशों द्वारा पाटन के बारे में पता होना चाहिए, जो पिछली जांचों से अपने अनुभव के आधार पर था जिसने कीमत स्तरों को सिद्ध किया था, जिस पर पाटन निर्धारित किया जा रहा था।
- ग) शुल्क नहीं लगाने से संबद्ध देशों से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है।

#### झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में उसमें प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटन आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

#### ञ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### ट. सूचना प्रस्तुत करना

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - एडी/ओई/001/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का भवात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
30. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल <https://setu.dgtr.gov.in> पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रभावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी

की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट [www.dgtr.gov](http://www.dgtr.gov) को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/001/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।
33. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 31 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
37. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
38. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

41. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
44. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
45. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।
- ण. असहयोग**
47. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, प्राधिकृत अधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**[Directorate General of Trade Remedies, (DGTR)]**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**Case No. AD(OI) – 01/2026**

**Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Hexamine” originating in or exported from China PR, Russia and United Arab Emirates.**

1. **F. No. 6/01/2026-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited, and M/s Simalin Chemical Industries Private Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Hexamine” (hereinafter

referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR, Russia and United Arab Emirates (hereinafter referred to as “subject countries”).

2. The applicants have alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries are causing material injury to the domestic industry and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The applicants have also sought provisional duties on imports of the subject goods from the subject countries.

#### **A. Product Under Consideration**

3. The product under consideration is Hexa Methylene Tetramine, also commonly known as ‘Hexamine’. The chemical formula for Hexamine is  $C_6H_{12}N_4$  and it conforms to CAS no. 100-97-0.
4. Hexamine is also known by other names, such as Ammo form, Methenamine, Cystamin, Cystogen, Urotropine.
5. Hexamine is a white crystalline powder with slight ammonia odor. It becomes charred at  $280^\circ C$ , sublimates at  $230^\circ C$  in vacuum. It is well soluble in water and carbon bisulphide, moderately soluble in alcohol and chloroform, little soluble in ethers and benzene. Hexamine is prepared in the chemical industry by means of the reaction of formaldehyde and ammonia.
6. It is used for various industrial purposes, primarily in manufacturing of resins, pharmaceuticals, explosives and rubber industry. Among other uses, it is used as a cross-linking agent for hardening and resins.
7. The product is measured by its weight, as expressed in Kgs or MT. The unit of measurement prescribed under the Customs Tariff Act for the subject goods is also weight “kg”.
8. Hexamine is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the sub-headings 2921 29 10. However, the product under consideration is also being imported under the code 2921 29 90 and 2933 69 90. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
9. The applicants have not proposed any PCN methodology.
10. The interested parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

#### **B. Like Article**

11. The applicants have stated that there are no significant differences in the article produced by the applicants and exported from the subject countries. The article produced by the applicants and that imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the articles produced by the applicants have been, *prima facie*, considered as like article to the product being imported from the subject countries.

#### **C. Subject Countries**

12. The subject countries in the present investigation are China PR, Russia and United Arab Emirates.

#### **D. Period of Investigation (POI)**

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is October 2024 to September 2025 (12 months). The injury investigation period shall cover the period April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024, April 2024 to March 2025, and the period of investigation.

#### **E. Domestic Industry and Standing**

14. The application has been filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited, and M/s Simalin Chemical Industries Private Limited. There is another domestic producer of the subject goods in India, namely, Shreenathji Rasayan Private Limited, which has expressed its support for the application.
15. As per information available on record, the production of the applicants accounts for a major proportion in Indian production of the like article. The applicants have certified that they have not imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the subject goods.
16. In view of the above and on the basis of information available, the Authority is satisfied that the application has been made by or on behalf of the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

**F. Basis of Alleged Dumping****a. Normal Value for China PR**

17. The domestic industry has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules. The domestic industry has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The domestic industry has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.
18. The domestic industry has submitted that reliable information regarding price or cost in market economy third country or recourse to alternative methods are not available. Therefore, the domestic industry has estimated the normal value for China based on best estimates of cost of production in India with reasonable addition for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

**b. Normal Value for Russia and United Arab Emirates**

19. The domestic industry has submitted that it was not able to obtain information on comparable prices of the subject goods in Russia and United Arab Emirates. This information is also not available from any public source. Further, since the subject goods are being imported under various codes, no reliable information was available as regards the representative price of the subject goods when exported from subject countries to third countries. In view of the same, the applicants have estimated normal value for Russia and United Arab Emirates based on facts available, having regard to the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits as the basis for normal value. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation

**c. Export price**

20. The applicants have determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the *prima facie* assessment, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges have been made.

**d. Dumping margin**

21. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

**G. Evidence of Injury and Causal Link**

22. Information furnished by the domestic industry has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The domestic industry has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by it due to the dumped imports. Imports from subject countries have increased significantly in the POI. The volume of the subject imports from the subject countries have significantly increased over the injury period in both absolute terms. There is evidence of price undercutting from each of the subject countries. The domestic industry has suffered from price depression and suppression. This has had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry. The domestic industry has claimed steep deterioration in its operating performance as the domestic industry has suffered losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury.

**H. Retrospective Imposition of Duties**

23. The domestic industry has requested for retrospective imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries. The domestic industry has claimed that retrospective imposition is necessary due to the following:

- a) There is a history of dumping in India as is evident from the fact of past investigations on product under consideration.
- b) The importer should have been aware of dumping by the present subject countries, based on its experience from past investigations which established the price levels at which dumping was being determined.
- c) Non imposition of duty is likely to lead to a rise in dumping from subject countries.

#### **I. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

24. On the basis of written application filed by or on behalf of the domestic industry, in the form and manner prescribed and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **J. Procedure**

25. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rules shall be followed in this investigation.

#### **K. Submission of Information**

26. All the interested parties are required to register themselves on SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case AD/OI/001/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
27. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

#### **L. Time Limit**

31. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID AD/OI/001/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
33. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 31 above of this Initiation Notification.
34. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the AD Rules.
35. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

**M. Submission of Information on Confidential Basis**

36. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
37. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
38. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
39. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
41. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

45. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**N. Inspection of Public File**

46. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**O. Non-Cooperation**

47. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Authorized Officer